न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 755 सन 2020
अनवान :–

1. रामकुमार पुत्र नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. गोडूराम पुत्र नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर ।
2. सन्तोष पुत्री नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर ।
3. शिमला देवी पुत्री नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 27|11|2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 284/291 की कुल 4.8690हैक्ट व चक 6 बारानी के खाता संख्या 212/206 की कुल 3.7180हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र मोतीराम के नाम सें दर्ज है।

वादी के पिता नत्थुराम पुत्र मोतीराम का देहान्त हो चुका है नत्थुराम पुत्र मोतीराम की पत्नी हिरादेवी का भी देहान्त हो गया है नत्थुराम पुत्र मोतीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो नत्थुराम पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं नत्थुराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज है नत्थुराम पुत्र मोतीराम एवं उसकी पत्नि हिरादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान नत्थुराम पुत्र मोतीराम के पुत्र पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 284/291 की कुल 4.8690हैक्‍ व चक 6 बारानी के खाता संख्या 212/206 की कुल 3.7180हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज है।

वादी के पिता नत्थुराम पुत्र मोतीराम का देहान्त हो चुका है नत्थुराम पुत्र मोतीराम की पत्नी हिरादेवी का भी देहान्त हो गया है नत्थुराम पुत्र मोतीराम के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है जो नत्थुराम पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं नत्थुराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 284/291 की कुल 4.8690हैक्‍ व चक 6 बारानी के खाता संख्या 212/206 की कुल 3.7180हैक्‍ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता नत्थुराम पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि वादी के पिता नत्थुराम पुत्र मोतीराम के नाम से दर्ज है वादी के पिता नत्थुराम पुत्र मोतीराम एवं उसकी पत्नी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारीसान उसके पुत्र /पुत्रीया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में नत्थुराम पुत्र मोतीराम एव उसकी पत्नी हिरादेवी का मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे साबित है कि नत्थुराम पुत्र मोतीराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 है अर्थात वाद भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बराबर के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवरा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता सख्या 284/291 की कुल 4.8690हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिव के खातेदार काश्तकार रहेगे वादी रामकुमार के पास रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 212/206 के प0न0 296/412(254) के किला न0 6/0.058 ,7/0.058 ,8/2 की 0.011 ,8/1 की 0.004 ,गै0मु0रास्ताा , 13/1 की 0.051हैक गै.मु.रास्ता 13/2 की 0.164हैक 14 ,15 ,16/0.759 ,17/0.2530 ,18/1 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता , 18/2 की 0.101 हैक 23/1 की 0.038 हैक गै.मु.रास्ता , 23/2 की 0.076हैक 24/0.2530हैक भूमि कुल 1.733हैक बारानी प्रथम एवं 0.131गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी। प्रतिवाादी संख्या 1 मोडुराम के पास रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 212/206 के प0न0 296/411(217) के किला न0 23/1 की 0. 038 ,गै.मु.रास्ता , 23/2 की 0.202हैक , 24/0.2530 ,प0न0 296/416 (254) के किला न0 3/1 की 0.037हैक गै0मु0रास्ता, 3/2 की 0.202 , 4/0.2530 ,5/0.2530 ,6/0.195 ,7/. 195 ,8/2 की 0.179 ,9/1 की 0.047हैक गै.मु.रास्ता भूमि कुल 1.732हैक बारानी प्रथम गै.मु. रास्ता 0.085हैक रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधि...
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामकुमार पुत्र नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 मोडूराम पुत्र नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर ।
2. सन्तोष पुत्री नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर ।
3. शिमला देवी पुत्री नत्थुराम जाति सुथार निवासी भूकरका तहसील नोहर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 755 सन 2020 निर्णय दिनांक- 27/11/2020

आज यह वाद सुश्री श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता सख्या 284/291 की कुल 4.8690हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे वादी रामकुमार के पास रोही मोजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 212/206 के प0न0 296/412(254) के किला न0 6/0.058 ,7/0.058 ,8/2 की 0.011 ,8/1 की 0.004 ,गै0मु0रास्ता , 13/1 की 0.051हैक गै.मु.रास्ता 13/2 की 0.164हैक 14 ,15 ,16/0.759 ,17/0.2530 ,18/1 की 0.038हैक गै0मु0रास्ता , 18/2 की 0.101 हैक 23/1 की 0.038 हैक गै.मु.रास्ता , 23/2 की 0.076हैक 24/0.2530हैक भूमि कुल 1.733हैक बारानी प्रथम एवं 0.131गै0मु0रास्ता की भूमि रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 मोडुराम के पास रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 212/206 के प0न0 296/411(217) के किला न0 23/1 की 0.038 ,गै.मु.रास्ता , 23/2 की 0.202हैक , 24/0.2530 ,प0न0 296/416 (254) के किला न0 3/1 की 0.037हैक गै0मु0रास्ता, 3/2 की 0.202 , 4/0.2530 ,5/0. 2530 ,6/0.195 ,7/.195 ,8/2 की 0.179 ,9/1 की 0.047हैक गै.मु.रास्ता भूमि कुल 1. 732हैक बारानी प्रथम गै.मु.रास्ता 0.085हैक रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/-- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner